

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र०स०.13.5/19... ता०रजु.02.12.19... किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक...15.1.2020

सरकार

बनाम

शमकीर पुत्र परजाती

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का खरखेडा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम शामरी के खसरा नम्बर 537 रकबा हैक्ट. किस्म भूमि पर सम्बत 2076 में श्री शमकीर पुत्र परजाती पति पादब वि० शामरी तह० बयाना ने 0.00 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जबाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से वेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 537 रकबा 0.00 हैक्ट. वाके ग्राम शामरी से वेदखल किया जाता है। लगान 1.20 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 64k रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फरदा को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ वेदखली वाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 15.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 14/2/20 को वर्ष 2019 में
 पैनल्टी नं. 64
 तहसील राजवत नवाका
 नरसील बयाना


 तहसीलदार
 बयाना